



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08042021-226409
CG-DL-E-08042021-226409

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1378]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 7, 2021/चैत्र 17, 1943

No. 1378]

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 7, 2021/CHAITRA 17, 1943

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 2021

का.आ. 1489(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि आंध्र प्रदेश राज्य के प्रकाशम् जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 565 के कि.मी. 133.922 से कि.मी. 154.900 तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् जॉइंट कलेक्टर - II, प्रकाशम् डिस्ट्रिक्ट, ओंगोल को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

आंध्र प्रदेश राज्य के प्रकाशम् जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 565 के कि.मी. 133.922 से कि.मी. 154.900 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: आंध्र प्रदेश		जिले का नाम: प्रकाशम्			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
तालुक का नाम: पुल्ललाचेरु					
गांव का नाम: एंडरापल्ली					
1	42 / 1 A	निजी	ड्राई	324.0000000(वर्ग मीटर)	0.0324000
2	42 / 3	सरकारी	वगु पोरंबोके	2,167.0000000(वर्ग मीटर)	0.2167000
3	428 / 5	सरकारी	हिल पोरंबोके	4,823.0000000(वर्ग मीटर)	0.4823000
4	429 / 2	सरकारी(डॉटेड लैंड)	ड्राई	1,249.0000000(वर्ग मीटर)	0.1249000
5	429 / 5	सरकारी(डॉटेड लैंड)	ड्राई	3,238.0000000(वर्ग मीटर)	0.3238000
6	44 / 1 B	सरकारी	ड्राई	51.0000000(वर्ग मीटर)	0.0051000
7	44 / 2 B	निजी	ड्राई	689.0000000(वर्ग मीटर)	0.0689000
8	44 / 2 E	निजी(पट्टा)	ड्राई	526.0000000(वर्ग मीटर)	0.0526000
9	44 / 2 F	निजी(पट्टा)	ड्राई	202.0000000(वर्ग मीटर)	0.0202000
10	50 / 2	सरकारी	रोड पोरंबोके	147.0000000(वर्ग मीटर)	0.0147000
11	57 / 2	निजी	ड्राई	162.0000000(वर्ग मीटर)	0.0162000
12	57 / 4	निजी(पट्टा)	ड्राई	510.0000000(वर्ग मीटर)	0.0510000
13	57 / 4	निजी	ड्राई	300.0000000(वर्ग मीटर)	0.0300000
कुल				14,388.0000	1.4388

[फा. सं. RC/LA/G1/NH-565/6805/2018 DT 01/01/2019/3A]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 7th April, 2021

S.O. 1489(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/four laning etc.), maintenance, management and operation of National Highway No. 565 in the stretch of land from Km. 133.922 to Km. 154.900 in the district of PRAKASAM in the state of ANDHRA PRADESH, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Joint Collector - II, Prakasam District, Ongole in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land Covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land Covered with or without structures falling within the stretch of land from Km. 133.922 to Km. 154.900 of the National Highway No. 565 in the district of PRAKASAM in the state of ANDHRA PRADESH.

State: ANDHRA PRADESH District: PRAKASAM					
Sl. No.	Survey / Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectare)
Taluk: Pullalacheruvu					
Village: Yendrapalli					
1	42 / 1 A	Private	Dry	324.0000000(Square Meter)	0.0324000
2	42 / 3	Government	Vagu Poramboke	2,167.0000000(Square Meter)	0.2167000
3	428 / 5	Government	Hill Poramboke	4,823.0000000(Square Meter)	0.4823000
4	429 / 2	Government(Dotted Land)	Dry	1,249.0000000(Square Meter)	0.1249000
5	429 / 5	Government(dotted Land)	Dry	3,238.0000000(Square Meter)	0.3238000
6	44 / 1 B	Government	Dry	51.0000000(Square Meter)	0.0051000
7	44 / 2 B	Private	Dry	689.0000000(Square Meter)	0.0689000
8	44 / 2 E	Private(PATTA)	DRY	526.0000000(Square Meter)	0.0526000
9	44 / 2 F	Private(Patta)	Dry	202.0000000(Square Meter)	0.0202000

10	50 / 2	Government	Road Poramboke	147.0000000(Square Meter)	0.0147000
11	57 / 2	Private	Dry	162.0000000(Square Meter)	0.0162000
12	57 / 4	Private(Patta)	Dry	510.0000000(Square Meter)	0.0510000
13	57 / 4	Private	Dry	300.0000000(Square Meter)	0.0300000
Total				14,388.0000	1.4388

[F. No. RC/LA/G1/NH-565/6805/2018 DT 01/01/2019/3A]

RAJESH GUPTA, Director